

फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज अदालत- उपखण्ड अधिकारी, मुकाम सोजत

प्रार्थीगण

विद्यादेवी शोमयालाल पाति  
भा.स.नि. 2951/बी सोमयाली-

बनाम

अप्रार्थीगण

वेनराम श. 2951/बी म.स.नि.  
नि. 2951/बी सोमयाली

किस्म मुकदमा :- राजस्व विविध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट 1955, मु.नं.: 63/2020

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज   | नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामीम में जारी हुआ। |
|------------|---|--|
| 14/10/20   | <p>वकील प्रार्थीगण उपस्थित।</p> <p>वकील प्रार्थीगण ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट. 1955 के तहत विरुद्ध अप्रार्थीगण के पेश किया है। राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिसेज तलब किया जाकर पत्रावली आयन्दा दिनांक 11/11/20 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उप खण्ड अधिकारी, सोजत</p>   | <p>585<br/>18/10/20</p>                              |
| 11/11/20   | <p>उप खण्ड अधिकारी, सोजत</p> <p>अज श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय अन्य राजकीय कार्यों में व्यस्त/अप्राप्त/अवकाश पर है। अतः पेशी इत्यादि होकर पत्रावली दिनांक 11/11/20 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सोजत</p>  | <p>वेनराम</p>  |
| 14/11/20   | <p>उप खण्ड अधिकारी, सोजत</p> <p>अज श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय अन्य राजकीय कार्यों में व्यस्त/अप्राप्त/अवकाश पर है। अतः पेशी इत्यादि होकर पत्रावली दिनांक 12/11/20 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सोजत</p>  | <p>ले. कृष्णाशर</p>                                  |
| 12/1/2021  | <p>अधीवक्ता/ आधीवक्ता प्रार्थी उपर</p> <p>अधीवक्ता को जारी नोटिस बाप हाजिरे प्रारु, सा. प्रि. से। अधीवक्ता 1 व 2 की ओर दे डी केस प्रारु दे आधीवक्ता ने वकालतनामा पेश किया एवं अधीवक्ता 3 ने जादवा देसा प्रि. ला प्रि. से। आधीवक्ता अधीवक्ता नं. 1 व 2 जादवा प्रारु पेश करी करना चाहने दे, जजान का प्रवक्त समाप्त करे, जजान जद किया जाहा है। जजान आधीवक्ता प्रार्थी एवं अधीवक्ता सुने गइएवं समाप्त करे गइ।</p> <p>आधीवक्ता मय प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट 1955 विरुद्ध अधीवक्ता 1 व 2 इत प्रारु पेश किया है। अतः पेशी इत्यादि होकर पत्रावली दिनांक 12/1/2021 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सोजत</p> |  |

उप खण्ड अधिकारी  
सोजत (विद्या-बाजी) पत्र




जो इस  
तारीख में  
जारी है

ख हुकम


हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील में  
जारी हुए

उपरोक्त अन्तर्गत धारा 212 वि. वि. अधिनियम के  
अनुसार कार्यवाही किया जाता है। पत्राचार के  
द्वारा कार्यवाही कराए गए हैं।  
शायद नहीं है।

  
(बोलतराम जोषी)  
उप सचिव (वि. वि.)

निर्णय द्वारा दिनांक 12/11/2024 को मंच पर विचार  
किए गए हैं।

  
(बोलतराम जोषी)  
उप सचिव (वि. वि.)